

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/पथिप सम्बद्धता/2020/1871

संलग्नक दिनांक: 14-8-2020

:- कार्यालय द्वारा :-

अधिकांश भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राजकीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी राजकीय राजकीय शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को अधिकांश में परिषद कार्यालय से डेटाबेस अपडेट हुई। वेदिका में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आयोजित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व में प्राथमिक संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रस्ताव बुद्धि सहित अन्य मती का विचार कराते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किया जाने का निर्णय किया गया।

उक्त को अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक को सत्र-2 में विद्यार्थी इन राजकीय पाठ्यक्रम सहायिता करने वाली पूर्व में सम्बद्ध संस्थाओं को प्रस्ताव भेजा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नान्त निर्णय किया गया -

"निजी क्षेत्र में स्थापित विभिन्न इन राजकीय पाठ्यक्रम सहायिता करने वाली संस्थान्तु जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व में सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईई द्वारा जारी सहायित अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुसार उपरोक्त नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रस्ताव को सत्र सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईई द्वारा प्रदात अनुमोदन विस्तार को अनुमोदन में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय किया गया।"


दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में विभिन्न मती उपरोक्त निर्णय को अनुमोदन में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रस्ताव अंकित प्रवेश प्रस्ताव हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश प्रस्ताव	पीसीआईई / परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश प्रस्ताव
1	2226	श्रीमती शिक्षण संस्थान (उत्तर प्रदेश राजकीय एवं शिक्षण संस्थान, श्रीमती)	विद्यार्थी इन राजकीय	हां	हां

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था पीसीआईई/विद्यार्थी द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ प्राथमिक शिक्षा परिषद विधिवतपुत्री 1882, संसदीय विधिसभा-2018 तथा अन्य निर्धारित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन अंशों में (अर्ध-वार्षिक) हेतु रु. 20,000.00/- प्रतिवर्ष, दो अंशों राजकीय पाठ्यक्रम हेतु रु. 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक अंश दो अंशों पाठ्यक्रमों (दो अंशों राजकीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु. 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही अंशों प्रारंभ/प्रारंभ से प्रारंभ किया जायेगा। उपरोक्त को अतिरिक्त प्रारंभ/प्रारंभ से शुल्क की संख्या में समान-समक या समक-समक द्वारा निर्णय किये जाने वाले कालांतरात जमायी होगी और अनुसार कार्यवाही किया जायेगा।

*(Handwritten signature)*

  
**School of Pharmacy & Research**  
**Roorkee-Sitapur**

काम आवश्यक होगा। पीक निर्धारण समिति द्वारा की गई वर्ष 2020-21 हेतु पीक का पुनर्निर्धारण किया जाता है। ताँ पीक की स्वीकारण को मान्य होगी।

- ✓ संस्था को (अथवा) प्रतियोगिता किताब समितियों तथा उन समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता। विनिर्माणकारी-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूच्य प्रवेश परीक्षा परीक्षा द्वारा आवेदन करने को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों की किल्ले से पहले की स्थिति में प्रवेश प्रवेश प्रमाण के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को अथवा-संस्था पर निर्णय सम्बन्धित में अनुसूच्य निर्देश एवं सम्बद्धता सुद्ध करण करना होगा।
- ✓ संस्था को (आयुर्वेद/आयुर्वेद) / (आयुर्वेद) में आवेदन कर हेतु अनुसूच्य द्वारा किताब जमा आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था प्रवेश परीक्षा प्रमाण द्वारा करने परी (विधि / विधि) / (आयुर्वेद) / (आयुर्वेद) / (विधि) एवं निर्देशक, प्रतियोगिता किताब, प्रमाण, अनुसूच्य प्रवेश परीक्षा परीक्षा, प्रमाण एवं प्रतियोगिता किताब परीक्षा, प्रमाण द्वारा करने परी विधियों, विनियमों, आवेदकों, निर्देशों का पालन करने को सिद्ध करना होगी।
- ✓ विनियम हेतु कार्यवाही आवश्यकताओं को संस्था को (आयुर्वेद) नहीं मिलनी ही अनुसूच्य द्वारा करने में आवश्यक होगी है जो इस संस्था में सम्बन्धित सम्बन्ध का होगा और विधि का ही किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं आवश्यकता होगी। प्रतियोगिता किताब परीक्षा, अनुसूच्य प्रवेश परीक्षा परीक्षा, प्रतियोगिता किताब निर्देशानुसार एवं प्रतियोगिता किताब विभाग प्रमाण प्रवेश प्रमाण को जारी कर कर किताब प्रमाण है तथा प्रमाण पर ही संस्था में मा. सम्बन्धित द्वारा किसी प्रमाण की प्रतियोगिता सम्बन्धी आवेदन निर्माण किया जाता है ता संस्था प्रमाणों परीक्षा सम्बन्धी कार्यवाही होगी।
- ✓ विनियम हेतु कार्यवाही आवश्यकता सम्बन्धित करने जारी सम्बन्धों को अनुसूच्य प्रवेश परीक्षा परीक्षा, प्रमाण प्रवेश सम्बन्धित द्वारा प्रवेश एवं के लिए आयुर्वेद प्रवेश परीक्षा हेतु सम्बन्धित प्रमाण होने के पूर्व विनिर्माणकारी में अनुसूच्य द्वारा कर परीक्षा सम्बन्धित को सम्बन्धित करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (आयुर्वेद) के सम्बन्ध में अथवा सम्बन्धित सम्बन्ध पर सीटों प्रवेश) अनुसूच्य परीक्षा प्रमाण की जायेगी।
- ✓ प्रमाण प्रवेश सम्बन्धित द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय निर्देशानुसार सम्बन्धित निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बन्धित सूचनाओं को सम्बन्धित सूचनाओं, प्रमाण, प्रमाण-सम्बन्धित, सम्बन्धित, प्रमाण किताब जमा प्रमाण सुद्ध, सम्बन्धित सुद्ध आवेदन का विवरण सम्बन्धित करना होगा।
- ✓ संस्था को विभाग-प्रतियोगिता हेतु अनुसूच्य सम्बन्धित सम्बन्धित करने को सम्बन्धित निर्देशों को सम्बन्धित में सम्बन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ता कि संस्था में प्रमाणित / सम्बन्धित सम्बन्धित को प्रवेश करने हेतु निर्देशानुसार निर्देशों को सम्बन्धित सम्बन्धित करने पर सम्बन्धित, सुनिश्चित, सम्बन्धित, सम्बन्धित सम्बन्धित का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य सम्बन्धित में सम्बन्धित में प्रवेश किया जाता है और परीक्षा को प्रवेशी जायेगी होगी है कि संस्था सम्बन्धित का प्रवेश निर्देशों जमा करने के लिए कर नहीं है तो सम्बन्धित संस्था की सम्बन्धित सम्बन्धित निर्देशों जमा की अनुसूच्य की जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित शर्तों का अनुपालन न किया जाने अथवा शर्तों का सम्बन्धित निर्देशों जमा की स्थिति में निर्देशानुसार अनुसूच्य सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी।

(मा. सम्बन्धित निर्देश)  
सचिव

सूचना- विधि/परीक्षा सम्बन्धित/2020/ 1875-2181

18 दिनांक: 18-08-2020

प्रतियोगिता-अनुसूच्य/निर्देशक: सीतापुर विभाग सम्बन्धित (अनुसूच्य और कार्यवाही एवं विधि) सम्बन्धित, सीतापुर।

(मा. सम्बन्धित निर्देश)  
सचिव

Principal  
School of Pharmacy &  
Research  
Sector-20

**संक्षेप**

**राज्य प्राथमिक शिक्षा परिषद**

**उच्च प्रवेश नबन्दा**

संख्या:- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धा/2021/3537

सम्बद्ध दिनांक:- 09/06/2021

**कार्यालय भाग**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के तामसी की स्थापना और अधिनियम, नई दिल्ली द्वारा अधिनियम सं. 2021-22 हेतु दिल्ली का राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अर्थ में प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च नबन्दा से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/06/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित नई सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रास्ताविक- प्रवेश परीक्षा अर्हता अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सं. 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुसार में शिक्षा सस्य की प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च नबन्दा द्वारा सं. 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पर्यवेक्षण एवं उसमें अखिल प्रवेश प्रस्ताव हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2236-SITAPUR SHIKSHA SANSTHAN (SCHOOL OF PHARMACY & RESEARCH), RAHYORA, SITAPUR

क्र.सं.	सम्बद्धता का नाम	सम्बद्धता/सम्बद्धता हेतु अनुमोदित प्रवेश शर्तों	परिषद द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश शर्तों
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था 09/06/2021/09/06/09/06/09 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उच्च प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद सं. 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमसूची 1982, संशोधित विनियमसूची-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंट्रीय माहवारकी हेतु रु. 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्सीय पर्यवेक्षण हेतु रु. 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय पर्यवेक्षणों (दो वर्षीय फार्सीय माहवारकी के अतिरिक्त) हेतु रु. 23500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्यवेक्षण द्वारा प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सफल द्वारा निर्णय किये जाने वाले सारांशों पर ध्यान देना। और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फिल निर्धारण समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की अवगतता देना लागू होगी।
- ✓ संस्था को (3000 प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाता) विनियमसूची-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्हता शर्तों को ही प्रवेश दिया जावेगा। सीटी के विस्तार एवं उनके की विधिति में उच्च प्रवेश परीक्षा के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्देश सारांशों के अनुसार विनियमों एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को 09/06/2021/09/06/09/06/09 से अवधी सं. हेतु अनुमोदित प्रवेश किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उच्च प्रवेश परीक्षा द्वारा कक्षाओं एवं विनियमसूची/अतिरिक्त/सारांशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 2018, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2000 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा कक्षाओं एवं नियमों/विनियमों/निर्देशों/निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

*(Signature)*  
SCHOOL OF PHARMACY &  
RESEARCH  
RAHYORA-SITAPUR

- ✓ डिप्लोमा इन फार्सी पार्यक्रम की संख्या बढ़ी भी हो जाई नहीं दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल होती है तो इस संबंध में संसदा प्रशासक/प्रिंसिपल संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परियोजना, अनुसंधान प्रवेश परीक्षा परियोजना, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई नोट टाका किया जाता है तथा टाका नोट के संबंध में डॉ. नवाशानंद द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी आदेश निर्मित किया जाता है। (संसदा प्रतिभूति संबंधित संस्था को बननी होगी)
- ✓ डिप्लोमा इन फार्सी पार्यक्रम संवर्धित करने वाली संस्थाओं को संसदा प्रवेश परीक्षा परियोजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अनुमोदित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालय/निर्देश प्राप्त होने के पूर्व पीएमआईएच से अनुमोदन प्राप्त कर परियोजना कार्यवाही को उपसंधा बनाना होगा अन्यथा उन्हीं प्रवेश भी (कार्यालय/निर्देश के अधीन ही प्रवेश टाका नोट पर प्रवेश) अनुमोदित नहीं बदल की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीनतम आदेशों के अनुयायन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक गृहस्थि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विज्ञान-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रीजियल लेवेल के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संवर्धित पार्यक्रम को पंजाब करने हेतु निर्देशन/समिति के समस्त उपसंधा कटौत करे प्रिंसिपल, भूमि-संयोज, कमीषनर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परीक्षा को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त कर प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संसदा संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निर्देशन द्वारा यदि संस्था में भूमि, संयोज, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य छात्र-संख्या पीएमआईएच/पीएमआईएच/पीएमआईएच के मातहत/अनुमोदित उपसंधा नहीं प्राप्त करता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता कर्ता का अनुयायन व किये जाने उपसंधा कर्ता का उत्तरदायित्व किये जाने की स्थिति में नियन्त्रण/अनुयायन/संसदा कार्यवाही की जायेगी।

(मुनीम कुमार शीखर)

सचिव

पुंनं- सचिव/परिषद संसदा/2021/3538-4809

दिनांक- 09/08/2021

प्रतिपत्ति:-

प्रधान/परिषद/निर्देशक SITAPUR SHRESHA SANSTHAN (SCHOOL OF PHARMACY & RESEARCH), RASHTRA, SITAPUR



(मुनीम कुमार शीखर)

सचिव

Principal  
School of Pharmacy &  
Research  
Rashttra-Sitapur



जाने वाला बुल्क, अतिरिक्त बुल्क आदि का विवरण उपरोक्त बताया गया।

- ✓ सत्या का विशाल-वैशाल्य हेतु उपरोक्त आंतरिक उपरोक्त बंधन के साथ निम्न शर्तों के सम्बन्ध में सत्यत आंतरिक उपरोक्त सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ सत्या यह सुनिश्चित करे कि सत्या में प्रस्तावित उपरोक्त परियोजना को लागू करने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त बताये गये अतिरिक्त, सुनिश्चित, कर्तव्य, उपरोक्त इत्यादि का यदि सत्या द्वारा किसी अन्य परियोजना के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता है और धीरे-धीरे को इसकी जानकारी होगी है कि सत्या उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए करे रही है तो उपरोक्त सत्या की सम्बन्धत सत्यात किन्हे जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ सत्या के अधिक उपरोक्त निरीक्षण के दौरान यदि सत्या में कृषि, सत्या, उपरोक्त, उपरोक्त एवं अन्य उपरोक्त उपरोक्त उपरोक्त के सम्बन्धत उपरोक्त नहीं प्राप्त करते है तो सत्या की सम्बन्धत सत्यात करे दी जायगी।
- ✓ सम्बन्धत सती का उपरोक्त में किये जाने उपरोक्त कार्य का उपरोक्त किन्हे जाने की रिपोर्ट में निबन्धत उपरोक्त उपरोक्त कार्यवाही की जायेगी।

  
(सत्यात सत्या)

सत्या

फ़ोन- कॉल/वाट्सएप नम्बर 2022/7818-0466


दिनांक: 30/03/2022

पते/सि.:

उपरोक्त/निरीक्षण SCHOOL OF PHARMACY AND RESEARCH D-PHARM RESORA SITAPUR

  
(सत्यात सत्या)

सत्या

  
Principal  
School of Pharmacy &  
Research  
Resora-Sitapur



